उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 17.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -17.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 17.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 17.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 17.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा बैंक चेकिंग अभियान

- आज दिनांक 17.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 17.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हार्दिक सिंह मय हमराह का0 रामकुमार तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त उदयभान पुत्र भज्जू उर्फ भुजवा उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को एकता ढाबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उदयभान उपरोक्त के कब्जे से एक नीले रंग की बोरी में 20 अदद पाउच विन्डीज ब्राण्ड नाजायज बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करके माननीय न्यायालय महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 हार्दिक सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. का रामकुमार तिवारी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

बरामदगी माल-

एक नीले रंग की बोरी में 20 अदद पाउच विन्डीज- गोल्ड ब्राण्ड नाजायज बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त-

उदयभान पुत्र भज्जू उर्फ भुजवा उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 17.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 रामबाबू यादव द्वारा मय टीम के 01 नफर अभियुक्त प्रिन्स सेन पुत्र रवीन्द्र सेन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम परापांतर थाना महोबकंठ जिला महोबा को भूरा टूडर मोड़ के पास से एक अदद झोले में 16 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड बन्टी बबली नाजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 19/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करके माननीय न्यायालय महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

प्रिन्स सेन पुत्र रवीन्द्र सेन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम परापांतर थाना महोबकंठ महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 रामबाबू यादव
2.का0 नितिन

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-17.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा ग्राम धवार जाने बाली सड़क पर बनी पुलिया के पास से अवैध शस्त्र व कारतूस लिये 01 नफर अभियुक्त दीपक प्रजापति पुत्र रामेश्वर प्रजापति निवासी ग्राम परापातर थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 18/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक प्रजापति पुत्र रामेश्वर प्रजापति निवासी ग्राम परापातर थाना महोबकंठ महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 रोहित कुमार थाना महोबकंठ महोबा
2.उ0नि0 रामबाबू यादव थाना महोबकंठ महोबा
3.कां0 मनोज कुमार थाना महोबकंठ महोबा
4.कां0 नितिन कुमार थाना महोबकंठ महोबा

SPEL कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत महिला थाना महोबा एवं थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा CEIR पोर्टल एवं भीड़ नियंत्रण विषय पर विशेष सत्र आयोजित

आज दिनांक 17.02.2026 को Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत महिला थाना महोबा एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यह समस्त कार्यवाही SPEL कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित की गई।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सी.ई.आई.आर. (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि गुम/चोरी हुए मोबाइल फोन को CEIR पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार ब्लॉक कराया जा सकता है, उसकी ट्रैकिंग प्रक्रिया क्या है तथा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की विधि क्या है।

साथ ही सार्वजनिक आयोजनों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु भीड़ नियंत्रण के प्रभावी उपायों, आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सावधानियों तथा पुलिस-जन सहयोग के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन में तकनीकी एवं विधिक जागरूकता बढ़ाना, साइबर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के प्रति सजगता विकसित करना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ बनाना रहा।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा SPEL कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत इस प्रकार की जनजागरूकता गतिविधियाँ निरंतर संचालित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 17.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत थाना श्रीनगर क्षेत्र के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण का आयोजन...।

आज दिनांक 17-02-2026 को निदेशक महिला कल्याण, जिलाधिकारी महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ग्राम कैमहा थाना श्रीनगर, जनपद महोबा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि कानून के अनुसार विवाह हेतु लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में किया गया विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। अधिनियम के उल्लंघन पर 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती है।

बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कम उम्र में विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है तथा वे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती हैं। शिक्षा को बालिकाओं के सशक्तिकरण का आधार बताते हुए उन्हें शिक्षित एवं जागरूक बनने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबरों—1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला सहायता) एवं 112 (आपातकालीन सेवा) की जानकारी भी प्रदान की गई तथा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह की रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई।